बिहार सरकार
समाहरणालय, समस्तीपुर
(जिला आपूर्ति प्रशाखा)
अल्पकालीन निविदा सूचना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 8136 / खाद्य दिनांक 27.12.13 से SECC के डाटा के अंतिम प्रकाशन के साथ निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप अपवर्जित (Excluded) परिवार को हटाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के आलोक में पात्र / पूर्वीकताप्राप्त परिवारों को राशन कार्ड स्थानीय स्तर पर मुद्रण कराकर उपलब्ध कराने हेतु निदेश प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवारों को राशन कार्ड वितरण हेतु वितरण पंजी की भी आवश्यकता होगी।

राशन कार्ड मुद्रण हेतु जिलान्तर्गत SECC डाटा के मुद्रण के लिये चयनित मुद्रक द्वारा SECC डाटा के अंतिम प्रकाशन के साथ–साथ निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप अपवर्जित (Excluded) परिवार को हटाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में पात्र परिवारों की सूची मुद्रित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

पात्र परिवारों की उक्त सूची के आधार पर Integrated Software के द्वारा (परिवार का पूर्ण विवरण समाहित करते हुये) राशन कार्ड का मुद्रण किया जायेगा। राशन कार्ड वितरण पंजी में भी संपूर्ण डाटा समाहित होगा।

विभागीय निदेशालोक में विभाग से पूर्व आपूरित राशन कार्ड की गुणवत्ता के अनुरूप राशन कार्ड एवं वितरण पंजी मुद्रण हेतु निम्नलिखित शर्तों पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। राशन कार्ड एवं राशन कार्ड वितरण पंजी मुद्रण हेतु इच्छुक प्रिंटिंग प्रेस, अपना निविदा दिनांक 21.01.2014 को 03:00 बजे अपराह्न तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रकोष्ठ में समर्पित कर सकते हैं। निविदा के रूप में तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा सभी कागजातों के साथ अलग–अलग शिल्ड लिफाफा में जमा करना होगा। प्रिटिंग प्रेस से प्राप्त निविदाओं को दिनांक 21.01.2014 को 04:00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता स्वंय या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर या उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है, तथा राशन कार्ड एवं वितरण पंजी का नमूना देखा जा सकता है।

(क) तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. फर्म को बिहार वाणिज्य एवं आयकर विभाग से कम–से–कम तीन वर्षों से निबंधित होने का प्रमाण पत्र तथा आयकर संख्या (PAN No.) देना होगा। विगत तीन वर्ष का अद्यतन Audit and Balance Sheet के साथ कम–से–कम एक वित्तीय वर्ष में 10,00,00.00 (दस लाख) रूपये Turn Over का Audit Report संलग्न करना होगा।

2. फर्म को सेवा कर एवं बिहार Shop and Establishment Act के अन्तर्गत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र एवं कागज का नमूना भी संलग्न करना अनिवार्य है।

3. तकनीकी निविदा के साथ जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पक्ष में 25,000 (पच्चीस हजार रूपये) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट सुरक्षित राशि के रूप में जमा करना होगा।

4. आवंटित कार्य के Sub-contracting की अनुमति किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इस आशय का Under taking तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा किसी भी समय Sub-contracting यदि किया जाता है तो कार्यादेश वापस लेते हुए एवं जमा की गई जमानत की राशि को जब्त करते हुए फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

5. संस्था को काली सूची में नाम दर्ज नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र देना होगा।

(ख) **वित्तीय निविदा की शर्त्तें :–**

1. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता फर्म का ही वित्तीय निविदा संबंधी लिफाफा खोला जायेगा।

2. वित्तीय निविदा में सभी प्रकार के कार्यों का दर सभी करों सहित स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

3. सफलता पूर्वक कार्य निष्पादन के उपरान्त भुगतेय राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार Vat एवं अन्य करों की कटौती की जायेगी।

4. निर्धारित समय सीमा पर कार्य पूर्ण नहीं हाने पर प्रतिदिन विलम्ब के लिए 1000.00 (एक हजार) रूपये की दर से संबंधित फर्म के विपत्र से कटौती की जायेगी तथा एक सप्ताह के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए जमा जमानत राशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दी जायेगी।

5. उपरोक्त शर्त्तों के अलावे समय–समय पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित शर्त्तों/निर्देशों का पालन करना होगा।

(ग) **सामान्य शर्त्तें :–**

1. वित्तीय निविदा में संबंधित कार्यों का सभी करों सहित दर अलग–अलग उल्लिखित करना होगा।

2. राशन कार्ड के मुद्रण के पश्चात् सभी मुद्रित सामग्री जिला आपूर्त्ति कार्यालय, समस्तीपुर में हस्तगत करना अनिवार्य होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का भाड़ा देय नहीं होगा।

3. बगैर कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने, संशोधित करने तथा कार्य की अधिकता के कारण समय से कार्य निष्पादन कराने हेतु कार्य का आवंटन एक से अधिक फर्म को करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

2.1.17

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर।